



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट लेखा स्कन्ध,

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-3245031 फैक्स नं० 0135-3245031 email:- gpfpptcul@rediffmail.com

पत्रांक

/म०प्र०(वि०)/पिटकुल/

दिनांक

/ /2015

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
गढ़वाल /कुमाऊँ क्षेत्र,
पिटकुल।

विषय:-ई०पी०एफ० से आच्छादित कर्मचारियों के सैद्धिक 12 प्रतिशत से अधिक धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड भविष्य निधि भवन व्योमप्रस्थ देहरादून के पत्रांक EPF/RO/UK/DDN/ENF/UK/32886/54799 Dated 09/12/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि, जो कर्मचारी अपने ई०पी०एफ० खाते में अपनी इच्छा से अपने वेतन (बेसिक+ग्रेड-पे+डी०ए०) का 12 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अंशदान अपने ई०पी०एफ० खाते में जमा कराना चाहते हैं (जिसकी अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक है)। सभी इच्छुक कर्मचारियों हेतु फार्म-4 A (सहमति पत्र) प्रेषित किया जा रहा है। जोकि ई०पी०एफ० कार्यालय द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। (फार्म-4 A को पिटकुल की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है)। यह भी सूचित किया जाना है कि 12 प्रतिशत से अधिक धनराशि जमा कराने पर 0.85 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय (Administrative charges) का भुगतान कर्मियों के वेतन से कटेगा यानि कर्मचारी खुद वहन करेगा।

अतः आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी ई०पी०एफ० से आच्छादित इच्छुक कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त फार्म-4 A भरकर इस कार्यालय को शीघ्र अति शीघ्र अधिकतम (एक सप्ताह) में प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक:- फार्म-4 A.

(एस.के.तोमर)

महाप्रबन्धक वित्त (प्रभारी)

पत्रांक 854 /म०प्र०(वि०)/पिटकुल

दिनांकित 18/12/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल विद्युत भवन, देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना) / (परि०एवंअनु०) / पिटकुल देहरादून।
3. निदेशक(वित्त), पिटकुल विद्युत भवन, देहरादून।
4. निदेशक (मानव संसाधन), पिटकुल विद्युत भवन, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक पिटकुल देहरादून
6. उपमहाप्रबन्धक (सू०एवं०प्रौ०), पिटकुल देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(एस.के.तोमर)

महाप्रबन्धक वित्त (प्रभारी)

FORM-4A
THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952
[Paragraph-29(2)]

To,

The Commissioner,
Employees' Provident Fund Organization,
Dehradun.

I.....S/D/W ofan employee
of M/s Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd. Code No. UK/DDN/0034363/000
request that I may be permitted to the Fund at the rate of @.....per cent of my basic wages,
retaining allowances (if any), and dearness allowance, with effect from the 01-01-2016 till such
time as I desire and am permitted to alter my rate of contribution again.

Signature/ Thumb-impression of the member

Dated2015

EPF A/c No. of the member UK/DDN/0034363/000/.....

(For use in the Commissioner's Office)

I, in exercise of the Power conferred on me under Paragraph 29 (2) of THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952 hereby permit the member named above to contribute to fund at the rate of @.....w.e.f.....2016. I further direct his/her employer to effect recovery of the member's contribution at the rate from the said member's wages relating to the wages periods ending on or after the aforesaid date for the purpose of playing the same to the THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUND.

Dated.....2015

Signature of the Commissioner

Copy forwarded:

1)..... (By Registered Post to the employees)

2) Shri.....

Note: To be submitted to the Commissioner in triplicate two months before the beginning of a currency period.